मो0 सोहेल, भा0 प्र0 से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.17 को आयोजित टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

कार्यवाही

सर्व प्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया पी0डी0एस0 के महत्व एवं संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1 पेट्रोल पंपों की जाँच

I.O.C के महा प्रबंधक से हुई वार्त्ता के आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पेट्रोल पंपों के द्वारा पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति में मात्रा की कमी संबंधित कंपनी के द्वारा की जाती है। पेट्रोल/डीजल में मिक्सिंग (mixing) की भी समस्या सामने आती है। मात्रा एवं गुण्वता की जाँच आवश्यक है।

सभी प्र0 आ0 पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वे स्थानीय पेट्रोल पंप की तेल की सैंपल को सिल कर प्राप्त कर लें तथा इसे जाँच के लिए कंपनी कार्यालय को भेजा जाए।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि माह अप्रैल से वे आपूर्ति की बैठक, में पेट्रोल पंपों एसोसियन के अध्यक्ष को बुलाना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी समस्याओं तथा दिए गए निदेशों से उन्हें अवगत कराया जा सके।

2 गैस की आपूर्ति

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि (i) उपभोक्ताओं के द्वारा घरेलू गैसों की आपूर्ति में मात्रा की कमी तथा निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने की शिकायत आती है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गैस एजेंसी से संबद्ध उपभोक्ताओं से पुछताछ की जाए, तथा इस तरह की शिकायत पाए जाने पर, उस गैस एजेंसी के विरूद्ध अग्रेतर कारवाई की जाए।

(ii) गैस एजेंसियों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि ग्वालपाड़ा, चौसा, तथा पुरैनी प्रखंडों में कार्यरत गैस एजेंसी के पास घरेलू गैसों की अवशेष संख्या विगत माह में 800 से अधिक है। यह अवशेष किस कारण से है, इसकी जाँच करने का निदेश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा, चौसा, तथा पुरैनी को दिया गया। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में Indane के जिला प्रभारी को आपूर्ति की बैठक में बुलाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) व्यावसियक गैस की खपत की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि व्यावसियक गैसों की खपत में वृद्धि का प्रतिशत विगत माहों से अत्यंत की कम है। व्यावस्यिक उपभोक्ताओं में भी मात्र 34 उपभोक्ताओं की बढ़ोतरी हुई है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे नियमित तथा औचक रूप से जिला मुख्यालय, मधेपुरा, नगर पंचायत मुरलीगंज, बिहारीगंज प्रखंड, तथा अन्य प्रखंड मुख्यालयों/बाजारों में कार्यरत मिठाई दुकान/नाशता पानी की दुकानों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गैस की जाँच की जाए, तथा यह देखा जाए की व्यावसियक गैस की खपत विगत माहों में किस अनुपात में है। सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर कार्यरत ठीकेदारों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली गैस की भी जाँच की जाए।

(iv) उज्जवला योजना की सभीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि राशन कार्डधारी की संख्या (3,77,625) के विरूद्ध मात्र 14% लाभुकों (49851) को ही आवेदन प्राप्त है। यह अत्यंत ही खेदजनक स्थिति है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा गैस एजेंसी को निदेशित किया गया कि गैस एजेंसी दुकान परिवार में उज्जवला कनेक्शन कैंप दिनांक 22.03.2017 से 31.03.2017

के बीच लगाया जाए, तथा उपभोक्ताओं से अधिकाधिक संख्या में उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन लिया जाए। जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रखंड के लिए कुल राशन कार्डधारी का 50% लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसे सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हर हाल में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे स्वंय इस कैंप को अपने देख रेख में लगवाऐंगे, तथा प्रगति प्रतिवेदन से जिला आपूर्ति कार्यालय को अवगत कराऐंगे।

3 **किरासन तेल**

किरासन तेल के संबंध में थोक तेल विक्रेताओं के प्रतिनिधि मुरलीगंज/मधेपुरा के द्वारा बताया गया कि राशि जमा होने के बाद भी कुल 78000 लीटर तेल की आपूर्ति I.O.C बरौनी में ट्रांस्पोर्टर हड़ताल के कारण नहीं हो पायी। जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि I.O.C से हूए विलंब की सूचना तेल व्यगत होने के पूर्व, उसी माह में लिखित रूप से अविलंब की जाए ताकि ससमय इसका निराकरण किया जा सके। व्यगत किरासन तेल पुनः प्राप्त करने के लिए, विभाग से पत्राचार करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।

4 **खाद्यान्न का उठाव**

(i) सभी डोर स्टेप डिलीवरी (D.S.D) अभिकत्ताओं के कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि प्रखंड मुरलीगंज, सिंहेश्वर, घैलाढ़, उदाकिशुनगंज, ग्वालपाड़ा के ट्रांस्पोर्टरों के द्वारा एग्रीमेंट के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सभी सहायक गोदाम प्रबंधक (A.G.M) को निदेशित किया गया यदि ट्रांस्पोर्टर ससमय, निर्धारित गाड़ी उपलब्ध नहीं कराते है, तो वे इसकी सूचना जिला प्रबंधक (S.F.C) को देंगे, जो ट्रांस्पोर्टर का एग्रीमेंट रद्द करने हेतु अग्रेतर कारवाई करेंगे।

जिला प्रबंधक (S.F.C) को निदेश दिया गया कि जिन प्रखंडों के लिए ट्रांस्पोर्टर की रिक्ति है उन स्थानों पर स्वच्छ निविदा निकालते हूए ट्रांस्पोर्टर की नियुक्ति शतप्रतिशत की जाए। साथ ही सभी A.G.M को निदेश दिया गया कि वे डीलर के खाद्यान्न उठाव की मात्रा के अनुसार गाड़ी की संख्या की सूचना, एक दिन पहले, ट्रांस्पोर्टर को दे दें ताकि गाड़ी की संख्या का खाद्यान्न उठाव में optimum उपयोग हो।

सभी सहायक गोदाम प्रबंधक (A.G.M) को निदेशित किया गया डीलर के खाद्यान्न उठाव के रोस्टर को किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाए, अन्यथा खाद्यान्न उठाव में हुई अनियमिता के लिए वे सीधे दोषी माने जाऐंगे।

A.G.M (lifting) तथा सभी ट्रांस्पोर्टर (मुख्य/D.S.D) S.M.S से खाद्यान्न उठाव की सूचना संबंधित A.G.M को, तथा पुनः DSD अभिकर्त्ता के द्वारा डीलर के खाद्यान्न उठाव की सूचना संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को देंगे ताकि खाद्यान्न कालाबाजारी को कारगर तरीके से रोका जा सके। खाद्यान्न उठाव तथा डीलर तक खाद्यान्न पहुँचाने की सूचनाओं को सभी प्रखंड आपूर्ति पदधिकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देंगे।

5 **नए राशन कार्ड की स्थिति**

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप नए राशन कार्ड के निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन, तथा राशन कार्ड के प्रत्यर्पण, तथा रद्दीकरण हेतु RTPS के माध्यम से आवेदन लेना प्रारंभ करें, तथा अग्रेतर कारवाई करें। सभी प्र0 आ0 पदा0 को निदेशित किया गया कि राशन कार्ड लाभुकों में से, वैसे लाभुक जो मृत हो गए है, उनके नाम हटाने हेतु अग्रेतर कारवाई की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए, कि मृत व्यक्तियों के नाम पर खाद्यान्न उठाव नहीं हो रहा हो।

6 **डीलरों का युक्तिकरण**

सभी प्र0 आ0 पदा0 को निदेश दिया गया कि डीलर युक्तिकरण आदेश, जिसके अंतगर्त सभी पी0डी0एस0 डीलरों को पोषक क्षेत्र में दुकान रखने की बाध्यता है, की प्रति हस्तगत करा दी जाए, तथा व्यापार स्थल में परिवर्त्तन का प्रस्ताव यथाशीघ्र प्राप्त कर अनुमंडल पदा0 के समक्ष उपस्थापित किया जाए। इस प्रक्रिया को इस माह तक पूरा कर लिया जाए।

7 **पी0डी0एस0 डीलरों की रिक्ति**

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सरकार से प्राप्त दिया निर्देश के अनुरूप महिला आरक्षण का समावेश करते हुए, पी0डी0एस0 डीलर रिक्ति का रोस्टर अविलंब भेजना सुनिश्चित करें, ताकि ससमय पी0डी0एस0 के रिक्त स्थानों पर डीलरों की नियुक्ति हो सके।

8 **आधार कार्ड का संग्रहण**

सभी प्र0 आ0 पदा0 को निदेशित किया गया कि राशन कार्ड के मुख्यिा सहित सभी लाभुकों का आधार कार्ड संख्या अविलंब प्राप्त की जाए। साथ ही लाभुकों का बैंक खाता तथा मोबाईल संख्या भी, प्राप्त किया जाए। इस कार्य को पी0डी0एस0 डीलरों के माध्यम से अथवा स्वयं किया जाए तथा इस माह तक इस कार्यो को शतप्रतिशत पूरा किया जाए।

20/3/17
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा।

20/3/17
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांकः 172 / दिनांकः 20.3.17

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— परिवहन अभिकर्त्ता/पी0डी0एस0 संघ के अध्यक्ष/सभी गैस एजेंसी/सभी किरासन तेल विक्रेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/जिला प्रबंधक (रा0खा0नि0 मधेपुरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मधेपुरा को सुचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

20/3/17
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा।

20/3/17
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।